क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश

A. कार्यक्रम का नाम : (Mainstreaming of Ayush) संविदा के आधार पर प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (1384) पर एक–एक आयुष चिकित्सकों का पदस्थापन

B. बजट /एफ0एम0आर शीर्षः B9.1.5 (अनुलग्नक 2 के आधार पर) –Mainstreaming of Ayush (Medical Officers at DH/CHC's/PHC's, only Ayush) – Non 24 x 7 PHC's/APHC's (Salary of Ayush Doctors).

C. बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Part B-9.1.5

D. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

1. प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/(NARTAN PHC/DH) 1384, (Ayurvedic 704, Unani 252, Homeo 428) पर आयुष चिकित्सकों का चयन करके जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मानदेय पर नियुक्ति किया गया है।
2. आयुष चिकित्सकों द्वारा वर्ष 2013–14 मे APHC स्तर पर 166 लाख तथा NARTAN Telemedicine Centres पर 2.62 लाख रोगियों को आयुष चिकित्सा से OPD सेवा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त नार्टन सेन्टर से 4500 मरीजों को विशेष चिकित्सा परामर्श सेवा Telemedicine से चिकित्सा महाविद्यालयों (PMCH, NMCH, IGIC, DMCH तथा आयुष पटना सेन्टर) से रेफरल परामर्श सेवा उपलब्ध कराया गया है। OPD के अतिरिक्त आयुष चिकित्सकों को अन्य कार्यक्रमों यथा RI, TB, FP, School Program & NDC इत्यादि कार्यक्रमों मे भागीदारी लिया जाना है।
3. आयुष चिकित्सकों से APHC स्तर एवं उससे नीचे Health Sub Centre (HSC) स्तर पर सभी कार्यक्रमों के संचालन एवं समन्यक मे पूर्णतः भागीदारी सूनिश्चित करना है।
4. वार्षिक अनुमानित लक्ष्य (ELA), राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 7542 दिनांक 01.10.2014 के अनुसार आयुष चिकित्सकों से APHC स्तर पर प्रत्येक दिन 50 मरीज (Physical Target) देखने की अपेक्षा की जाती है। इसी तरह नार्टन टेलिमेडिसीन सेन्टर पर प्रत्येक दिन 40 OPD तथा 2% OPD यथा 8 (आठ) मरीजों को रेफरल सेवा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक महीने आयुष चिकित्सकों द्वारा कृत कार्यों का रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) मे भरकर MOIC/DIMO के माध्यम से प्रत्येक महीना राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाईट पर लोड करते हुए आयुष प्रकोष्ठ को भी ईमेल एवं डाक द्वारा भेजना सूनिश्चित किया जाएगा। ससमय प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इनके कार्यों का मुल्यांकन किया जाएगा एवं Appraisal Report मे अंकित करना सूनिश्चित किया जाएगा।
5. आयुष चिकित्सकों को NRHM के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों में भागीदारी बनाने हेतु प्रशिक्षण उपरांत APHC स्तर पर NRHM क सभी कार्यक्रमों का भागीदारी एवं अनुसरण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

E. इकाई राशि (रू0 लाख में)–

(i) प्रत्येक चिकित्सकों को रू 20,000/– प्रतिमाह +10% Annual Hike (सेवा संतोषप्रद/appraisal होने पर) = 22,000/- के दर से मानदेय भुगतान होगा।

F. वित्तीय दिशा निर्देश :–

1. राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निदेश संख्या – 18281 दिनांक 08.07.2010 के आलोक के माध्यम से संचालित होगा एवं इस गतिविधि के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आयुष) संबंधित जिला के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे।
2. राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होगा।
3. जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी प्रोग्राम एवं राशि खर्च के जिम्मेदार होंगे।
4. ए0पी0एच0सी0 APHC/PHC पर कार्यरत चिकित्सक को PHC प्रभारी के द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर जि0 प्रो0 पदा0 (आयुष) के अनुशंसा पर मासिक प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाएगा।

G. इस संदर्भ मे यदि कोई पत्र पूर्व मे प्रेषित किया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

इस संदर्भ मे निम्न पत्र प्रेषित किये गये हैं।

(क) 260 (दे0 चि0) दिनांक 22.03.07 (ख) 18951 दिनांक 05.08.2010
(ग) 29442 दिनांक 17.08.2011 (घ) 29443 दिनांक 17.08.2011
(ड.) 30058 दिनांक 12.09.2011 (च) 7234 दिनांक 16.9.2014
(छ) अनुलग्नक I

H. सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – डा0 तबरेज अख्तर लारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (आयुष)

I. सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नं0 – 9473191942,
Email: ayushbhs09@gmail.com

293